



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/LUC/15890
 /2021-2022

पत्रावली संख्या: I-106872 दिनांक: 1991-1992

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सेंट्रल एकेडमी शिक्षा समिति,, सेक्टर-9, पानी की टंकी के पास,
 इन्दिरानगर, जिला-लखनऊ, लखनऊ, 226016 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1894-1991-1992
 दिनांक-15/02/1992 को दिनांक-15/02/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
 1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
37DB1857CADD8F210B104D9790F0BEF56E7C4A

Date: 21/02/2022 1:24:05 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-21/02/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
 उत्तर प्रदेश।



(Signature)
Manager
Central Academy

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

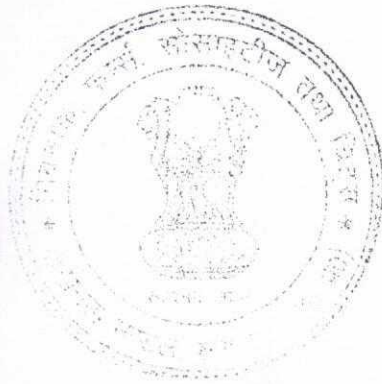
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 538781

यह जनरल स्टाम्प पेपर...सेन्ट्रल स्केडमी...
शिक्षा समिति...
जिला...लखनऊ...फाइल नं०-10.6.872
ते प्रबन्धकारिणी समिति की सूची के साथ सलग्न है
2024-25



Manager
Central Academy

20/11/25

10/01/25



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AE 538782

यह जनरल स्टाम्प पेपर... सेन्ट्रल स्केडूली...
शिक्षा. समिति...
जिला... फाइल नं०... 106.8.72
को. संशोधन. निष्ठावली... को साथ सलग्न है



संलग्न पत्रिका
20/1/25



Manager
Central Academy

10/01/2025

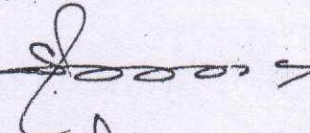
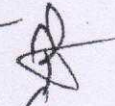
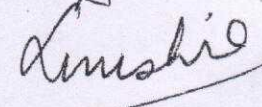
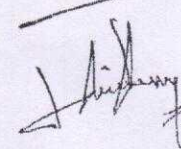
सेन्ट्रल एकेडमी शिक्षा समिति
सेक्टर-9, पानी की टंकी के पास इन्दिरा नगर, जिला लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2024-2025



क्र० सं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री रूपेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री लालमनि मिश्रा ✓	राम आसरेपुरवा, खरगापुर रोड गोमतीनगर जिला लखनऊ	अध्यक्ष	नौकरी
2	श्रीमती लिली उर्फ लक्ष्मजया पत्नी श्री एस० प्रसाद ✓	5/65-बी, विपुलखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	उपाध्यक्ष	अध्यापन
3	श्री संगम मिश्र पुत्र श्री जनार्दन मिश्र ✓	सेक्टर-9, पानी की टंकी के पास, इन्दिरा नगर जिला लखनऊ	मन्त्री/ चेयरमैन	शिक्षाविद्
4	श्री हरीश पाण्डेय पुत्र श्री जे०एन० पाण्डेय ✓	3/262, विपुलखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5	श्री विजय कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व० सभापति चतुर्वेदी ✓	बी-83/1, बिमल नगर (इन्दिरानगर), जिला लखनऊ	सदस्य	नौकरी
6	श्री शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व० बच्चू सिंह ✓	राम आसरेपुरवा, खरगापुर रोड गोमतीनगर जिला लखनऊ	सदस्य	व्यापार
7	प्रियकांक्षा पुत्री डा० संगम मिश्रा	493, इन्दिरानगर जिला लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
8	श्री बेचन यादव पुत्र श्री प्रकाश यादव ✓	1/419, विरामखण्ड, गोमतीनगर जिला लखनऊ	सदस्य	व्यापार
9	श्री सजन कुमार झा पुत्र श्री आर०बी० झा ✓	14 ए.माल एवेन्यू जिला लखनऊ	सदस्य	नौकरी

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

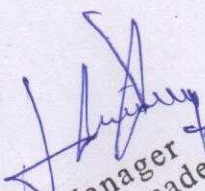
1- 
2- 
3- 
4- 

सत्य प्रतिलिपि

20/1/25

18/01/2025




Manager
Central Academy

संशोधित नियमावली

- (1) संस्था का नाम :: सेन्ट्रल एकेडमी शिक्षा समिति ।
- (2) संस्था का पता :: सेक्टर-9, पानी की टंकी के पास, इन्दिरा नगर जिला-लखनऊ ।
- (3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
- (4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 1001/- (एक हजार एक रुपये) नगद या इतने ही मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति निस्वार्थ भाव से देंगे से आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे व संस्था को 101/- (एक सौ एक रुपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे, वे सामान्य सदस्य होंगे ।

- (5) सदस्यता की समाप्ति ::

- 1- मृत्यु हो जाने पर ।
- 2- पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
- 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर ।
- 4- त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
- 5- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति होने पर ।
- 6- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।

- (6) संस्था के अंग ::

- (अ) साधारण सभा ।
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

- (7) साधारण सभा ::

गठन ::

संस्था का गठन आजीवन व सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठकें ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी ।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1- प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
- 2- संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
- 3- संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
- 4- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया करना ।



Principal
Central Academy



20/11/25

10/11/25



(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें—अध्यक्ष—एक, उपाध्यक्ष—एक, मन्त्री/चेयरमैन—एक, कोषाध्यक्ष—एक, अन्य पांच सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 09 होगी। जो आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई व घटाई भी जा सकती है।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों को दो तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

- 1—संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
- 2—संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3—उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार/केंद्र सरकार, शिक्षा विभाग, स्वेच्छिक संस्था दानशील व्यक्तियों, एवं अन्य विभागों से दान अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
- 4—संस्था के विकास हेतु चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, कय करना तथा भवन निर्माण करना एवं चल अचल सम्पत्ति की व्यवस्था व नियंत्रण करना।
- 5—अन्य समान उद्देश्य की समितियों/ट्रस्ट/समितियों से आवश्यकतानुसार गिफ्ट/ऋण लेना व देना।

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

सत्य प्रतिलिपि

20/1/25

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

- 1—समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2—बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।
- 3—समान मत होने पर निर्णायक मत देना।



Manager
Central Academy

18/01/2025

20/1/25

उपाध्यक्ष

मन्त्री/चेयरमैन

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

- 1-संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 3-पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
- 4-समस्त बिल व बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना।
- 5-राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
- 6-सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति देना।
- 7-संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- 8-बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना तथा बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
- 9-कर्मचारियों/अध्यापकों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करना।
- 10-संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
- 11-संस्था के हित में आवश्यकतानुसार व्यय करना।
- 12-दान चन्दा प्राप्त कर रसीदें देना।
- 13-संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।
- 14-कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालय की शाखाएं खोलना।
- 15-संस्था की उन्नति हेतु अन्य कार्य करना।
- 16-अन्य समकक्ष समितियों को ऋण देना एवं आवश्यकता पड़ने पर लेना।
- 17-अपनी अनुपस्थिति में सभी प्रकार के कार्यों के लिये लिखित आदेश पर किसी को अधिकृत करना।



कोषाध्यक्ष

- 1-आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
- 2-मन्त्री/चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- 3-दान एवं चन्दा प्राप्त कर बैंक में जमा करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य किसी बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो मन्त्री/चेयरमैन के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

(12) संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।



2000

Q

Kushir

Handwritten signature

(1) संस्था का नाम

(2) संस्था का पता

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र

(4) संस्था के उद्देश्य

संस्थान स्मृति पत्र

:: सेंट्रल एकेडमी शिक्षा समिति।

:: सेक्टर-9, पानी की टंकी के पास, इन्दिरानगर, लखनऊ

:: सम्पूर्ण भारतवर्ष।

1-छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, विकास करना।

2-प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की संस्थाओं का आयोजन करना तथा उनका प्रचार व प्रसार करना।

3-शिक्षा के द्वारा समाज की उन्नति, जागृति एवं उत्थान सम्बन्धी कार्य करना।

4-छात्रों की शिल्प कला की ओर रुचि पैदा करना और ऐसी शिल्प की शिक्षा देना जो मानव जीवन में उपयोगी सिद्ध हों।

5-अभाव ग्रस्त बालक व बालिकाओं की शिक्षा हेतु राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता से अवगत कराना।

6-सह शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।

7-लोगों के अन्दर प्राचीन सांस्कृतिक उत्थान करना।

8-बालक एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें कुटीर उद्योग के बारे में निःशुल्क जानकारी देना।

9-ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

10-बालकों को राष्ट्र के प्रति त्याग, समभाव एवं कर्तव्य परायणता की भावना जागृत करना।

11-बालकों के बौद्धिक विकास हेतु समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, अन्ताक्षरी व सेमिनार आदि का आयोजन करना।

12-पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, ऊसर बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम, टीकाकरण, प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या जनसंख्या नियन्त्रण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वृक्षारोपण इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

13-समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफसा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउन्डेशन, नौराड, आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं केंद्रीय महिला कल्याण तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, बाल श्रम विभाग, कृषि विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

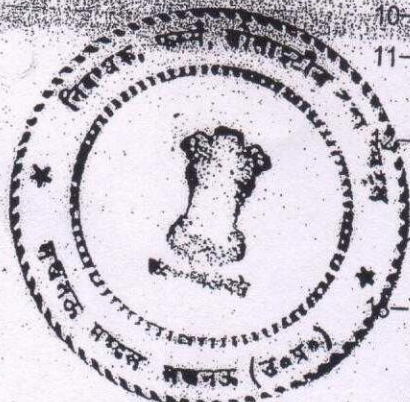
14-समाज के निर्धन एवं निराश्रित वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के कल्याण हेतु निःशुल्क धर्माथ चिकित्सालय की स्थापना करना।

15-छात्र-छात्राओं को प्रतिभा सम्पन्न बनाने हेतु स्पोर्ट शिक्षा की व्यवस्था करना तथा विद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

16-शैक्षिक एवं सामाजिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

17-शैक्षिक विकास हेतु बालक/बालिका विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, डिग्री कालेजों की महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा विभाग के शासनादेशों के आधार पर करना तथा उनका संचालन करना।

18-स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित चिकित्सालय, नर्सिंग कालेज, फिजियो थरेपी कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य सम्बन्धित कालेजों एवं चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन शासन की पूर्व अनुमति से करना।



Lily

[Signature]

[Signature]



Manager
Central Academy

सत्य प्रतिलिपि

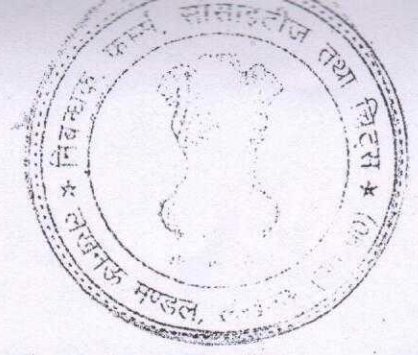
सत्याप्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

कर्म संसाधन तथा चिदस

लखनऊ



—4—

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मन्त्री/चेयरमैन पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

(14) संस्था के अभिलेख ::

- 1-सदस्यता रजिस्टर
- 2-कार्यवाही रजिस्टर
- 3-स्टाक रजिस्टर
- 4-कैश बुक आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Manager
Central Academy

सत्य प्रतिलिपि

20/1/25

18/1/2025